**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *72**

**दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**सिकल सेल एनीमिया**

***72. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:**
**श्री मनीश तिवारी:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल एनीमिया के लिए जांचे गए जनजातीय व्यक्तियों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ख) देश में इन जांच के माध्यम से पहचाने गए सिकल सेल एनीमिया के व्याप्त होने की दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत चरण-वार बजटीय आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशभर के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया रोगियों के लिए आसानी से सुलभ और प्रभावी उपचार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 29 नवंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 72 के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (घ) : राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएससीएईएम) 1.7.2023 को शुरू किया गया था। दिनांक 24.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 17 चिह्नित राज्यों में कुल 4,75,42,776 लोगों की जांच की गई है जिसमें जनजातीय बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में 1,98,62,568 जनजातीय लोग भी शामिल हैं और इसे एनएससीएईएम के तहत https://sickle.nhm.gov.in पोर्टल पर देखा जा सकता है। की गई जांचों का राज्य –वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।

प्रभावित राज्यों में जांच के माध्यम से अभिज्ञात सिकल सेल एनिमिया के कारण मरने वालों और इसके संवाहकों की प्रतिशता का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक- I** पर है।

प्रभावित राज्यों में एनएससीएईएम सहित रक्त विकारों की जांच के लिए किए गए बजटीय आवंटन और उपयोग का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर है।

एनएससीएईएम के तहत, जिला अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्तर तक के सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में जांच की जाती है। एससीडी से ग्रस्त रोगियों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एएएम के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं/ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

- छोटे-छोटे अंतरालों पर रोग ग्रस्त व्यक्तियों का अनुवर्ती उपचार।
- जीवन शैली प्रबंधन, विवाह पूर्व और प्रसव पूर्व लिए जाने वाले निर्णयों संबंधी परामर्श।
- फोलिक एसिड गोलियों के वितरण के माध्यम में पोषणात्मक अनुपूरक आहार सहायता ।
- योग और आरोग्यता सत्रों का आयोजन।
- संकटकालीन लक्षणों का प्रबंधन और उच्चतर सुविधा केंद्रों में रेफरल।

हाइड्रोक्सीयूरिया को उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी)/ शहरी पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की अनिवार्य औषधि सूची में शामिल किया गया है ताकि दवाओं की उपलब्धता की समस्या न रहे। एनएचएम के तहत, हाइड्रोक्सीयूरिया की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके।

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) के माध्यम से, जागरूकता और परामर्श से संबंधित सामग्री तैयार की गई है। रोग, स्क्रीनिंग (जांच) और प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आईईसी और मीडिया संबंधी गतिविधियां चलाई गई हैं। राज्य सरकारों को मिशन के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है।

इसके अलावा, सुविधाजनक पहुँच और प्रभावी उपचार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की आबादी की जांच तथा उच्चतर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को रेफरल के लिए प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के तहत सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू) तैनात की गई हैं।

****

अनुलग्नक- I

**17 प्रभावित राज्यों में सिकल सेल एनीमिया के संबंध में की गई जांचों और मृतकों और रोग वाहकों की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा**

| क्रम सं. | राज्य का नाम | की गई कुल जांच | मृतकों की कुल संख्या | मृतकों का प्रतिशत | रोग संवाहकों की कुल संख्या | रोग संवाहकों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 9,29,380 | 1706 | 0.18 | 19375 | 2.08 |
| 2 | असम | 8,47,274 | 258 | 0.03 | 1321 | 0.16 |
| 3 | बिहार | 11,976 | 1 | 0.01 | 4 | 0.03 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 1,44,11,035 | 25378 | 0.18 | 318317 | 2.21 |
| 5 | गुजरात | 35,58,702 | 5740 | 0.16 | 168715 | 4.74 |
| 6 | झारखंड | 21,98,507 | 2149 | 0.10 | 2899 | 0.13 |
| 7 | कर्नाटक | 2,18,069 | 564 | 0.26 | 4592 | 2.11 |
| 8 | केरल | 1,06,753 | 1167 | 1.09 | 4326 | 4.05 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 84,69,811 | 25307 | 0.30 | 164869 | 1.95 |
| 10 | महाराष्ट्र | 49,91,803 | 19296 | 0.39 | 146663 | 2.94 |
| 11 | ओडिशा | 47,62,739 | 89324 | 1.88 | 366289 | 7.69 |
| 12 | राजस्थान | 36,24,600 | 2947 | 0.08 | 7890 | 0.22 |
| 13 | तमिलनाडु | 2,58,162 | 495 | 0.19 | 8916 | 3.45 |
| 14 | तेलंगाना | 4,33,449 | 836 | 0.19 | 5368 | 1.24 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 6,48,371 | 18 | 0.00 | 95 | 0.01 |
| 16 | उत्तराखंड | 1,64,532 | 2 | 0.00 | 94 | 0.06 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 1,907,613 | 5422 | 0.28 | 34301 | 1.80 |
| | **कुल** | **4,75,42,776** | **1,80,610** | **0.38** | **12,54,034** | **2.64** |

अनुलग्नक-II

**वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएचएम के तहत सिकल सेल जांच सहित रक्त विकारों की जांच के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) अनुमोदन और व्यय दर्शाती विवरणी**

(लाख रुपए में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2023-24 | |
|---|---|---|---|
| | | एसपीआईपी अनुमोदन | व्यय |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 798.83 | 436.65 |
| 2. | असम | 31.20 | 945.35 |
| 3. | बिहार | 50.00 | 29.25 |
| 4. | छत्तीसगढ़ | 1,536.36 | 263.97 |
| 5. | गुजरात | 505.68 | 294.94 |
| 6. | झारखंड | 407.50 | 553.17 |
| 7. | कर्नाटक | 225.39 | 0.21 |
| 8. | केरल | 3,848.40 | 2,268.37 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 1,210.00 | 739.30 |
| 10. | महाराष्ट्र | 2,017.10 | 185.71 |
| 11. | ओडिशा | 2,475.38 | 1,116.31 |
| 12. | राजस्थान | 251.47 | 277.31 |
| 13. | तमिलनाडु | 12,279.60 | 4,374.15 |
| 14. | तेलंगाना | - | - |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 15,193.24 | 6,563.94 |
| 16. | उत्तराखंड | 482.19 | 366.52 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 777.96 | 111.50 |
| नोट: | | | |
| 1. व्यय में केंद्रीय स्तर पर जारी निधियों, राज्य द्वारा जारी निधियों और वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष में से किए गए व्यय शामिल हैं। | | | |
| 2. उपर्युक्त डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार हैं और ये अनंतिम हैं। | | | |

*****